रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 183] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 12, 1972/आषाढ़ 21, 1894
No. 183] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 12, 1972/ASADHA 21, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July 1972

G.S.R. 336(E).—In exercise of the powers conferred by section 24 of the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954 (28 of 1954), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the High Court Judges Rules, 1956, namely:—

1. These rules may be called the High Court Judges (Amendment) Rules, 1972.

2. In the High Court Judges Rules, 1956 in rule 2. after the Note, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided also that where at the request of the President, any Judge undertakes to discharge any function outside his normal duties in any locality away from his headquarters, the President may, having regard to the nature of such function and locality, determine the facilities that may be afforded to such judge including accommodation, transport and telephone so long as he continues to discharge such function, either without any payment or at a concessional rate."

[No. 19/75/72-Jus.]

P. P. NAYYAR, Jt. Secy.

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 1972

सा० का० नि० 336(अ).—उच्च न्यायलय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 (1954 का 28) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, उच्च न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1956 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम उच्च न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 1972 होगा।

2. उच्च न्यायलय न्यायधीश नियम, 1956 में, नियम 2 में, टिप्पण के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह भी कि जहां राष्ट्रपति के अनुरोध पर कोई न्यायाधीश अपने मुख्यालय से दूर किसी परिक्षेत्र में अपने प्रसामान्य कर्तव्यों से बाह्य किसी कृत्य के निर्वहन का भार अपने ऊपर लेता है, वहां राष्ट्रपति ऐसे कृत्य और परिक्षेत्र की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उन सुविधाओं का, जिनके अन्तर्गत वाससुविधा, वाहन और टैलिफोन भी हैं, अवधारण कर सकेंगे, जो ऐसे न्यायाधीश को तब तक के लिए, जब तक वह ऐसे कृत्य का निर्वहन करता रहे, किसी संदाय के बिना या रियायती दर पर, दी जा सकेंगी।

[संख्या 19/75/72-न्याय]

पी० पी० नय्यर, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972